न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2022
जी.सी.एम.एस. : 2022/64

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
बलदेवराम पुत्र श्री रामाराम जाति जाट निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली (राज.)		1. राजस्थान राज्य जरिये कार्यालय सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.) 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत जिला पाली (राज.) 3. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय पता 188, दी उम्मेद हैरिटेज रातानाडा जोधपुर (राज.)

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित व
श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित

जिला कलक्टर, पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06.05.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत ग्राम चण्डावल के खसरा संख्या 2153 में से अवाप्त भूमि में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आदेश में रकबा 0.3360 की जगह 0.0336 सशोधित कर दर्ज करवाने एवं उक्त संशोधन आदेश के आदेश पर भूमि अवाप्ति अधिकारी को 0.0336 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाने बाबत् पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित वक्त प्राथमिक आपत्ति बहस उपस्थित हुए। प्राथमिक आपत्ति पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 ने जैर माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र के संबंध में प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि जैर प्रार्थना–पत्र श्रीमान के समक्ष धारा 3 जी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं सपठित माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के तहत पेश किया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किये गये अवॉर्ड राशि के संबंध में

कोई विवाद की स्थिति में श्रीमान के समक्ष माध्यस्थम के रूप में प्रकरण पेश किया जाता है। उपरोक्त प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किये गये अवॉर्ड के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया और अवॉर्ड में अवाप्त की गई भूमि 0.0336 हैक्टेयर दर्ज नहीं कर 0.3360 हैक्टेयर लिपिकीय त्रुटि से दर्ज होना प्रार्थी ने बताया है और उसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करना बताया है। उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि सुधार के लिए माध्यस्थ के रूप में प्रकरण सुनने की कोई अधिकारिता श्रीमान को नहीं है। इसके संदर्भ में सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी है साथ ही संबंधित नामान्तरकरण की अपील की जा सकती है लेकिन उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः प्राथमिक आपत्ति स्वीकार फरमावे व जैर प्रार्थी का जैर प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की प्राथमिक आपत्ति बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित किये गये अवॉर्ड में अवाप्त की गई भूमि का रकबा 0.0336 हैक्टेयर दर्ज नहीं कर 0.3360 हैक्टेयर दर्ज कर दी व उसके आधार पर ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है। उक्त प्रकरण के संबंध में यदि कोई भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवॉर्ड में अगर कोई विसंगति है तो श्रीमान को ही मध्यस्थता के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः श्रीमान अधिवक्ता अप्रार्थी की आपत्ति अस्वीकार फरमावे।

उभयपक्ष की प्राथमिक आपत्ति बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि अप्रार्थी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी अवॉर्ड में अवाप्त की गई भूमि का रकबा 0.0336 हैक्टेयर दर्ज नहीं कर 0.3360 हैक्टेयर लिपिकीय त्रुटि से दर्ज होना व उसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करना प्रार्थी बताता है व जैर माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पेश हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G(v) के अनुसार " if the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government" जबकि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र भूमि–अवाप्ति अधिकारी के द्वारा जारी अवॉर्ड में वास्तविक भू अवाप्ति के रकबे में अशुद्धि या लिपिकीय त्रुटि को सुधार करने के संबंध में है व प्रार्थी ने जैर प्रार्थना–पत्र में अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। उक्त प्रकरण भूमि–अवाप्ति द्वारा जारी अवॉर्ड में रकबा संशोधन/लिपिकीय त्रुटि निराकरण के संबंध में प्रार्थी सक्षम भूमि–अवाप्ति अधिकारी अथवा सक्षक भू अभिलेख अधिकारी के पास चाराजोही कर सकते है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **06.05.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली